08.10.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थिति जवाब पेश नही करना चाहा इनका जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा चौधरियों का गोलिया पटवार हल्का कीलवा तहसील सांचौर में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर क्रमशः 170,200/387,200/952, 201, 204 कुल रकबा 1.94 हैक्टयर का आया हुआ है। इस सम्पूर्ण आराजी में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा आया हुआ है। अप्रार्थीगण हमारी कब्जा शुद्रा खातेदारी भूमि को हड़पने की नियत से पक्की दीवार, जबरन निर्माण कायम माठ में तोड़-फोड़ कर रहे है। अप्रार्थीगण अतिक्रमी एवं भू-माफिया है जिसको मौजिज लोगों के समझाने पर भी नही मानकर हमारे खेतों में अनाधिकृत प्रवेश कर दखलान्दाजी कर रहे है। हम रिकॉर्डेड खातेदार है अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही है। मौके पर पीढ़ियों से हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है। हमनें ही उक्त भूमि को समतल उपजाऊ,उपयोगी बनाया है। रहवासीय ढाणिया भी इसी आराजी पर है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी में हमारे उपयोग एवं उपभोग में दखलन्दाजी पैदा नही करें। मौके पर निर्माण कार्य नही कर मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अंतरिम निषेधाज्ञा मूल वाद ताफैसला जारी की जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त खसरों के सभी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है। लिमिटेशन एक्त में लिमिट समय के बाद वाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण का कब्जा है। पक्षकारान के मध्य मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है। अतः उक्त वाद को खारिज किया जावे। तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमावे।

हमनें वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा चौधरियों का गोलिया पटवार हल्का कीलवा तहसील सांचौर में प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी आराजी खसरा नम्बर क्रमशः 170,200/387,200/[illegible] 204 कुल रकबा 1.94 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण [illegible] यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner